विभाग का उद्धेश्य तथा प्राथमिकताऐं

आदिमजाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, प्रदेश सरकार के प्रमुख विभागों में से एक है, जिसे अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है. इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग जहां एक और अपने स्तर पर शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के साथ अनुपूरक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है वहीं दूसरी और आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम तथा विशेष घटक योजना के संबंध में नोडल विभाग के नाते विभिन्न विकास विभागों के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाते हुए योजनाओं के बजट प्रावधान एवं अनुश्रवण का कार्य भी कर रहा है।

1. अनुसूचित जनजाति वर्गों तथा पिछड़े आदिवासी क्षत्रों को समाज की मुखय धारा से जोड़ते हुए समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाना ।
2. विशेष पिछडी जनजाति समूह का उत्थान कर उन्हें अन्य जनजाति वर्गो के समकक्ष लाना ।
3. अनुसूचित जनजाति वर्गों के शैक्षणिक उत्थान के लिए शिक्षा विषयक योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से लागू करना ।
4. अनुसूचित जनजाति की परम्परागत संस्कृति को पाठ्यक्रमों में स्थान देना अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए को-आपरेटिव सोसायटियों का गठन ।
5. अंत्योदय स्वरोजगार योजना, प्रतिष्ठा योजना एवं राष्ट्रीय निगमों से वित्त पोषित योजनाओं के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराना।
6. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के आवासीय विद्यालयों की संखया बढ़ाना ।
7. आदिवासी क्षेत्रों में ग्रेन बैंक के माध्यम से खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना ।
8. आदिवासी क्षेत्रों के मानव विकास सूचकांकों को गैर आदिवासी क्षेत्रों के मानव विकास सूचकांकों के समकक्ष लाना ।
9. विद्गोष पिछड़ी जनजातियों के मानव विकास सूचकांक को कम से कम अन्य अनुसूचित जनजातियों के मानव विकास सूचकांक के समकक्ष लाना ।

10. आदिवासियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना ।